संख्या–भा0स0–274 / 14–2–2016–800 (165) / 2016

प्रेषक,

आर0वी0सिंह
उपसचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 30 दिसम्बर 2016**

विषयः– जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / 06 / 108 / 2016 / एफसी / 442, दिनांक 09–12–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 12 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण का संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव की 02 प्रतियों को प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 09–12–2016 में उल्लिखित 12 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि 02प्रस्ताव।

भवदीय,

(आर0वी0सिंह)
उपसचिव।